प्रेस विज्ञप्ति
सराहनीय कार्य जनपद एटा

एटा ~ थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली सफलता, बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की घटना में वाँछित चल रहा आरोपी युवक गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर एटा पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नगर एटा पर पंजीकृत मु 0अ0सं0 171/2021 धारा 366 भादवि 3(2)5 एससी एसटी एक्ट की घटना में वाँछित चल रहे अभियुक्त उमेश खाँ उर्फ जलालउद्दीन उर्फ जल्ला को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है।

घटनाः- दिनांक 25.2.2021 को वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर इस आशय की लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 20.02.2021 को वादी की पुत्री को उमेश खाँ अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया है। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 171/21 धारा 366 भादवि 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा उक्त घटना मे फरार आरोपी की गिरफ्तारी एवं अपहृता की बरामदगी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर एटा को निर्देशित किया गया। दिनांक 2.3.2021 को अभियोग उपरोक्त की घटना में वाँछित चल रहे अभियुक्त उमेश खाँ को मुखबिर की सूचना पर मंडी गेट के सामने जी 0टी0 रोड से मय पीड़िता के साथ समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया है तथा अपहृता को महिला आरक्षी द्वारा अपनी सुपुर्दगी मे लिया गया। थाना स्तर से अग्रिम वैधानिक आवश्यक कार्यवाही की जा रही है.

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.उमेश खाँ उर्फ जलालउद्दीन उर्फ जल्ला पुत्र अमर सिंह निवासी मरथरा थाना कोतवाली देहात एटा